



छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित,
ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट, वी.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारीडीह, शंकर नगर, रायपुर
दूरभाष- 4065100 से 4065110

फैक्स - 2283594

ई-मेल : cgmfpfed@sancharnet.in

वेबसाइट: www.cgmfpfed.org

अधिसूचना क्रमांक संघ/हर्रा/2008-09/13

दिनांक 22.06.2010

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 संग्रहण काल में संग्रहित एवं गोदामीकृत
हर्रा, कचरिया के विक्रय हेतु

निविदा सूचना

प्राक्कथन

- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, (जिससे इसके पश्चात् शासन कहा गया है), ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर, (जिससे इसके पश्चात् संघ कहा गया है), को राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में हर्रा के संग्रहण, क्रय एवं व्यापार हेतु, छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 4 के अंतर्गत अभिकर्ता नियुक्त किया है,
- शासन के द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 सीजन में संघ को अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए प्रदेश की प्राथमिक वनोपज सहकारी संस्थाओं (जिससे इसके पश्चात् प्राथमिक समिति कहा गया है), जिनमें राज्य शासन एक अंशधारक है, के माध्यम से संबंधित हर्रा की इकाईयों (जिसे इसके पश्चात् इकाई कहा गया है), में हर्रा का, जिला वनोपज सहकारी यूनियन (जिसे इसके पश्चात् जिला यूनियन कहा गया है), के पर्यवेक्षण में, संग्रहण कराने के निर्देश दिए गए ।
- शासन के आदेशानुसार, संग्राहकों द्वारा संग्रहण केन्द्र पर (अ) शासकीय वन भूमि से तथा (ब) निजी हर्रा उत्पादक क्षेत्र द्वारा लिए गए हर्रा के लिए, राज्य शासन द्वारा निर्धारित क्रमशः (अ) प्रति क्विंटल की संग्रहण दर (मजदूरी) तथा (ब) प्रति क्विंटल का क्रय मूल्य का भुगतान कर प्राथमिक समितियों के हर्रा, कचरिया संग्रहित किया गया । हर्रा का परिवहन कर गोदामीकरण किया गया ।

अतएव अब संघ उक्त हर्रा के क्रय के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पंजीकृत फर्मों / विधिक कंपनियों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है ।

परिशिष्ट-I

(निबंधन एवं शर्तें)

2. परिभाषायें, निविदा के निबंधन एवं शर्तें निविदाकार के लिए निर्देश -

इस सूचना, इसकी अनुसूची एवं इसके विभिन्न परिशिष्टों में प्रयोग में लाये गये विभिन्न शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषायें, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो परिशिष्ट-I में सम्मिलित "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश", में दिए गए अनुसार होंगी । ये "निविदा के निबंधन एवं शर्तें तथा निविदाकार के लिए निर्देश" इस निविदा सूचना के अभिन्न अंग हैं और यह समझा जावेगा कि इस सूचना में समस्त प्रयोजनों के लिये सम्मिलित हैं ।

3. लाट लिस्ट एवं करार अवधि -

अनुसूची
(हरा की लाट सूची)

इस सूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित गोदामों में गोदामीकृत हरा की लाटों के क्रय के लिये दिनांक 15.10.2010 को समाप्त होने वाली करार अवधि के लिये एतद् द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

4. निविदा पत्र आदि -

परिशिष्ट-II
(निविदा पत्र)
परिशिष्ट-III
(निविदाकार करारनामा)

(I) निविदाकार को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट-II) में ही अपनी निविदा परिशिष्ट-III में दिये गये प्रपत्र में निविदाकार के करारनामा के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदा पत्र तथा निविदाकार का करारनामा संघ की ऊपर दर्शित वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा पत्र तथा निविदाकार का करारनामा किसी भी कार्यालय में विक्रय हेतु उपलब्ध नहीं होंगे। उपरोक्त रीति द्वारा प्राप्त निविदा पत्र प्रस्तुत करते समय उसके साथ रुपये 100/- का, किसी भी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट/डिमांड ड्राफ्ट, जो कि प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ के पक्ष में संघ मुख्यालय पर देय हो, संलग्न करना होगा।

(II) निविदाकार स्वयं यह सत्यापित एवं सुनिश्चित करेगा कि उसने निविदा पत्र के साथ निविदाकार का करारनामा प्राप्त कर लिया है क्योंकि निविदा के साथ सम्यक् रूप से निष्पादित निविदाकार का करारनामा संलग्न करना अनिवार्य है। आवश्यक अभिलेख डाउनलोड कर लेने का पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का है।

5. निविदाओं का प्रस्तुतिकरण -

(I) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार सभी निविदाकारों को स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र में अंकित एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। स्थाई आयकर क्रमांक (PAN) निविदा पत्र के द्वितीय पृष्ठ पर बिन्दु क्रमांक 5.6 में अंकित करना होगा।

(II) सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा एक मुहरबंद लिफाफे में, जिस पर निम्न विवरण एवं पता लिखा होगा, रखी जावेगी।

वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में संग्रहित एवं गोदामीकृत हरा, कचरिया के क्रय करने हेतु निविदा।

निविदा खोलने की तिथि 13.07.2010

(निविदा अधिसूचना क्रमांक संघ/हरा/2008-09/13 दिनांक 22.06.2010)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ मर्यादित, ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट,
वी.आई.पी.क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर,
रायपुर - 492007

प्रेषक,

निविदाकार का नाम -

पता -

(III) निविदा पत्र अन्तर्धारित करने वाला लिफाफा प्रबंध संचालक, संघ को अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति को सम्युक्त अभिस्वीकृति प्राप्त करके दिया जा सकेगा या पावती पंजीकृत डाक द्वारा उसको इस प्रकार भेजा जा सकता है ताकि वह दिनांक 13.07.2010 को अपरान्ह 4.00 बजे तक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर - 492007 कार्यालय में प्राप्त हो जावे । सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी निविदायें इस तिथि को प्राप्त की जावेंगी ।

6. निविदाओं का खोला जाना -

प्रबंध संचालक, संघ कार्यालय में प्राप्त निविदायें दिनांक 13.07.2010 को अपरान्ह 4.30 बजे से ऐसे निविदाकारों के समक्ष जो उपस्थित हो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, ए-25, वी.आई.पी.एस्टेट, वी.आई.पी.क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर - 492007 के कार्यालय में प्रबंध संचालक संघ द्वारा गठित समिति द्वारा खोली जावेंगी भले ही निविदाएं खोले जाने वाले दिनों को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया हो ।

7. केता करारनामा का निष्पादन -

(I) सफल निविदाकार का प्रस्ताव तार एवं/अथवा पत्र जारी कर स्वीकार किया जावेगा और ऐसी स्वीकृति जारी होने पर सम्बंधित हर्षा के लाट के क्रय की संविदा निविदाकार और संघ के बीच अस्तित्व में आ गई मानी जावेगी एवं निविदाकार इकाई का केता माना जावेगा ।

(II) सफल निविदाकार को, उसके प्रस्ताव की संघ द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के 15 दिन के अन्दर, प्रत्येक इकाई के लिए परिशिष्ट (IV) (केता का करारनामा) में दिये गये प्रपत्र में करारनामा प्रबंध संचालक, जिला यूनियन अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति के समक्ष निष्पादित करना होगा । निविदाकार के द्वारा 2000/- रुपये बतौर फीस जमा किये जाने पर इस अवधि में प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के द्वारा 7 दिन की वृद्धि की जा सकेगी । इस प्रकार 15वां दिन/7वां दिन यदि सार्वजनिक अवकाश रहता है तो करारनामा निष्पादन आगामी कार्य दिवस में किया जा सकेगा । 15 दिन/7 दिन की अवधि की गणना संघ मुख्यालय से आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिन से की जावेगी ।

(III) करारनामे के निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में केता की नियुक्ति प्रबंध संचालक जिला यूनियन द्वारा निरस्त की जा सकेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर सम्बंधित लाट के क्रय मूल्य के 10% की राशि सत्यंकार की राशि में से अधिहरण कर ली जायेगी और वन संरक्षक द्वारा निविदाकार को ऐसी अवधि के लिये काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा जो 3 वर्ष तक हो सकती है । इसके अतिरिक्त यदि लाट/लाटों, जिनके लिये केता की नियुक्ति निरस्त की गई है, के पश्चात्पूर्ती निर्वर्तन पर संघ को हुई हानि, यदि कोई हो, केता को वहन करनी होगी और यदि ऐसी हानि की रकम केता के द्वारा, उसको इस संबंध में जारी की गई मांग सूचना के 15 दिन के अन्दर, जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू राजस्व के बकाया बतौर वसूली योग्य होगी, परन्तु यदि ऐसे पश्चात्पूर्ती निर्वर्तन में क्रय मूल्य से अधिक राशि प्राप्त होती है तो केता का इस अधिक राशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा ।

8. देय राशि का भुगतान -

केता हर्षा के क्रय से संबंधित देय राशि का भुगतान केता करारनामा में उल्लेखित रीति से करेगा । केता देय राशि का भुगतान निम्नांकित तिथियों या उसके पूर्व करेगा :-

	किश्तें	दिनांक
1.	प्रथम किश्त	16.08.2010
2.	द्वितीय किश्त	16.09.2010

9. हर्षा का परिदान/परिवहन -

देय राशि के भुगतान के उपरांत हर्षा का परिदान/परिवहन परिशिष्ट-I एवं IV में दिये गये प्रावधानों के अनुसार होगा ।

10. परिशिष्ट -

संग्रहण वर्ष 2007-08 के लिये परिशिष्ट-I से IV जिनका कि सन्दर्भ उपर दिया गया है जो कि संघ की अधिसूचना क्रमांक/संघ/हर्षा/2007-08/6 दिनांक 10-07-2008 के साथ संलग्न है एवं संग्रहण वर्ष 2008-09 के लिये परिशिष्ट-I से IV जिनका कि सन्दर्भ उपर दिया गया है जो कि संघ की अधिसूचना क्रमांक/संघ/हर्षा/2008-09/6 दिनांक 18-05-2009 के साथ संलग्न है । समस्त प्रायोजनों के लिये इस निविदा सूचना के परिशिष्ट है, उनको संदर्भ के लिये देखें ।

11. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना -

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों तथा परिशिष्ट-I में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा ।

12. केता करारनामा निष्पादन न किये जाने अथवा करारनामा समाप्त होने की दशा में हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी -

संबंधित निविदा/नीलाम से समस्त करें सहित संभावित प्राप्तियां (+) पुनः निर्वर्तन तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय (-) पश्चातवर्ती निविदा/नीलाम से समस्त करें सहित प्राप्तियां ।

13. यदि कोई केता शासन/संघ के विरुद्ध अदालत में जाता है तथा निर्णय शासन/संघ के पक्ष में होता है तो केता अदालती कार्यवाही के कारण वनोपज के मूल्य में हुई कमी के लिये जिम्मेदार होगा, इसकी वसूली केता से ब्याज सहित की जावेगी ।

14. हिन्दी रूपान्तरण प्राधिकृत पाठ -

इस सूचना का तथा इसकी अनुसूची एवं परिशिष्टों का हिन्दी रूपान्तरण सभी प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत पाठ समझा जावेगा ।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)

सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर - 492007